

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ०प्र०।
परिपत्रांक सी-60/कृषि निवेश/बी-250 (टी सी-1) दिनांक: लखनऊ: 11 जनवरी 2018

1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,

सहकारिता उ०प्र०।

2-समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,

जिला सहकारी बैंक लि०।

3-समस्त जिला प्रबन्धक

पी०सी०एफ०, उ०प्र०।

विषय- दिनांक 01.01.2018 से कृमको डीएपी उर्वरक की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरो में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक परिपत्रांक सी-41/कृषि निवेश/बी-250(टी सी-1) दिनांक 09.10.2017 एवं परिपत्रांक सी-54 दिनांक 01.12.2017 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करे जो कृमको की डीएपी उर्वरक हेतु जारी आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरे दिनांक 14.09.2017 से 31.12.2017 लागू थी। राज्य विपणन प्रबन्धक कृमको लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 200 दिनांक 05.01.2018 द्वारा डीएपी उर्वरक पर विशेष छूट समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2018 से कृमको डीएपी उर्वरक की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दर निम्नानुसार संसूचित किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त क्रम में कृमको की डीएपी उर्वरक की नवीन दरे निम्नवत संसूचित की जाती है :-

(धनराशि रू०में)

क्र० सं०	विवरण(प्रति मै०टन)	डीएपी
1	एक्स फैक्ट्री प्राइस	20015.24
2	विशेष छूट	0.00
3	कर योग्य धनराशि	20015.24
4	सी.जी.एस.टी.2.5प्रतिशत(+)	500.38
5	एस.जी.एस.टी.2.5प्रतिशत(+)	500.38
6	कुल जी.एस.टी. धनराशि	1000.76
7	नेट इश्यू प्राइस	21016.00
8	डीलर मार्जिन	480.00
9	डीलर मार्जिन पर सी.जी.एस.टी.2.5प्रतिशत(+)	12.00
10	डीलर मार्जिन पर एस.जी.एस.टी.2.5प्रतिशत(+)	12.00
11	डीलर मार्जिन पर कुल जी.एस.टी.धनराशि	24.00
12	कृमको हेतु फुटकर बिक्री दर	21520.00
13	कृमको हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति 50 कि.ग्रा. बैग	1076.00


1. उपरोक्त दरो पर दिनांक 01.01.2018 से समितियो/बिक्री केन्द्रो को कृमको डीएपी उर्वरक की आपूर्ति की जायेगी।
2. समितियो/बिक्री केन्द्रो पर दिनांक 31.12.2017 से पूर्व की कृमको आपूर्तित डीएपी उर्वरक की बिक्री नवीन दरो से ही की जायेगी।
3. कृमको डीएपी उर्वरक की आपूर्ति प्रदायकर्त्ता द्वारा एफ0ओ0आर0 के आधार पर की जायेगी।


(एन. के. सिंह)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता उ०प्र०

परिपत्रांक : ^{सी-60} / कृषि निवेश/बी-250(टी सी) दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य राज्य प्रबन्धक, कृमको, टीसी-28-वी विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
9. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।


(रामप्रकाश)
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।